देवेन्द्र सिंह चौहान IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं0 15, / 2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांकःलखनऊःजून 26, 2022

प्रिय महोदय

विषय : हैबियस कार्पस रिट याचिका सं0 80/2022 रामविलास थ्रू डॉटर सरोजनी व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दि. 11.04.2022 के अनुपालन विषयक।

प्रिय महोदय/महोदया,

ध्यातव्य है कि द0प्र0सं0 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों द्वारा आपराधिक मामलों की विवेचना एवं जाँच के दौरान घटना के संदर्भ में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य संकलन की दृष्टि से पुलिस थाना या अन्य किसी निर्धारित स्थान पर बुलाया जाता है परंतु कभी कभी कुछ मामलों में अनावश्यक रूप से भी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा बुलाये जाने एवं उन्हें रोककर रखने की घटनायें प्रकाश में आई हैं। जनपद लखनऊ से सम्बन्धित ऐसे ही एक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा ***हैबियस कार्पस रिट याचिका सं0 80/2022 रामविलास थ्रू डॉटर सरोजनी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य*** में यह अवधारित करते हुए कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ हेतु थाना में बुलाये जाने और उन्हें वहाँ रोके रखने से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होती है तथा उसके गरिमापूर्ण जीवन में भी अवरोध आता है। उक्त निर्णय में किसी व्यक्ति को थाना या अन्य स्थान पर बुलाये जाने, पूछताछ किये जाने की पुलिस अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त संदर्भित रिट याचिका में याचीगण सावित्री और रामविलास को महिला थाना लखनऊ में दिनांक 08.04.2022 को बुलाया गया था। जब वे वहाँ से वापस नहीं लौटे तब उनकी पुत्री सरोजनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की गयी। याचिका की सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2022 को सावित्री और रामविलास अपनी पुत्री सरोजनी के साथ प्रस्तुत हुए और बताये कि कुछ पुलिसकर्मी उनके पास आये थे और उन्हें थाना पर उपस्थित होने के लिये कहा गया था। जिसके अनुपालन में वे लोग पुलिस थाना गये थे जहाँ उन्हें रोककर रखा गया था तथा पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें धमकी भी दी गयी थी। महिला थाना की थाना प्रभारी दुर्गावती भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई और उनके द्वारा संक्षिप्त प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया गया कि याचीगण को

जानबूझ कर अपमानित व प्रताड़ित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है बल्कि उनके अधीनस्थ कांस्टेबल द्वारा बिना उनकी जानकारी के याचीगण को थाना पर बुलाया गया था और रोककर रखा गया था। इसके लिये थाना प्रभारी द्वारा न्यायालय से निःशर्त क्षमा याचना की गयी।

महिला थाना लखनऊ के पुलिस कर्मियों के उक्त कृत्य को मा0 न्यायालय द्वारा संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानकर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुये अवधारित किया गया कि:-

" ..... The action taken by police personnel in the present case indicates clear flouting of the right guaranteed to the petitioners under Articles 14 , 19 , 21 and 22 of the Constitution since oral summoning of the petitioners and their subsequent detention in police station has been restored to without even lodging of first information report.

The State in its counter affidavit has not been able to explain any law under which such a procedure could have been followed particularly when the police personnel summoning the petitioners was not even the investigating officer of the case.

Right of locomotion being an essential part of right to life and personal liberty can not be trifled with in such a casual manner merely being clothed with State authority. It is the bounden duty of State and its instrumentalities to be ever vigilant so that fundamental rights guaranteed under part (III) of the Constitution are not infringed, particularly without any authority of valid law which would have deleterious effect on an ordered society .

In view of aforesaid , it would be necessary to direct the State and its instrumentalities that in case any application or complaint is given at any police station which requires investigation and presence of the accused then suitable course of action as prescribed under provision of Criminal Procedure Code are to be followed which contemplate a written notice being served upon such a person but that too only consequent to a case being registered . In case there is no investigating officer at that juncture , the subordinate police officials are required to take permission / approval of the station incharge before issuing such notice or summons . On no account can an accused or any other person be summoned to a police station orally by subordinate police officials without the consent / approval of the station incharge. The life, liberty and dignity of any person can not be thrown to the winds merely on verbal orders of police officials . It is expected that State

and its instrumentalities will be cautious in future with regard to observations and directions issued herein above.

Registry is directed to send a copy of this order to the Additional Chief Secretary, Department of Home, State of UP for taking appropriate action for ensuring compliance of aforesaid directions by the police."

द0प्र0सं0 की धारा 91 व 160 दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने अथवा पूछताछ हेतु साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने के लिये पुलिस अधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है:-

1- दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये सम्मन (धारा 91 द0प्र0सं0) - धारा 91 द0प्र0सं0 के अनुसार जब कभी किसी अन्वेषण, जाँच या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन से पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जो ऐसे अन्वेषण, जाँच या अन्य कार्यवाही के लिये आवश्यक या वांछनीय है, ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या होने का विश्वास है, एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है, उस सम्मन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा उपस्थित हो । ऐसा आदेशित व्यक्ति उपस्थित यदि न भी हो परन्तु उस दस्तावेज या वस्तु को नियत समय व स्थान पर प्रस्तुत करवा दे तो यह समझा जायेगा कि उसने आदेश का अनुपालन कर दिया है।

2- साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (धारा 160 द0 प्र0सं0)- धारा 160 द0प्र0सं0 के अनुसार-

(1) कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाना की या किसी निकटवर्ती थाना की सीमाओं के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गयी सूचना से या अन्यथा जो उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है , अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा लिखित आदेश कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार उपस्थित होगा:

परंतु किसी पुरूष से जो 15 वर्ष से कम आयु का अथवा 65 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा किसी स्त्री से अथवा किसी मानसिक अथवा शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरूष या स्त्री निवास करती है , भिन्न किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन उपस्थित होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चा का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिये राज्य सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है।

उपरोक्त धारा 91 एवं 160 द0प्र0सं0 का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु किसी स्थान पर बुलाये जा सकने के लिये आवश्यक है कि:-

1- व्यक्ति को बुलाने वाला अधिकारी थाना का भारसाधक अधिकारी या मामले का विवेचक होना चाहिये । यह शक्ति थाना के भारसाधक अधिकारी और विवेचक के अतिरिक्त अन्य किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त नहीं है ।

2- व्यक्ति को बुलाने के लिये आदेश लिखित रूप से जारी किया जाना चाहिये ।

इन री तुकाराम [20 CrLJ 438] के प्रकरण में अवधारित किया गया कि धारा 160 के अन्तर्गत उपस्थिति की अपेक्षा लिखित होनी चाहिये। किसी व्यक्ति को मौखिक रूप से पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश विधि सम्मत नहीं है। यदि ऐसे मौखिक आदेश की अवज्ञा की जाती है तो धारा 174 भा0द0वि0 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

3- ऐसा आदेश सम्बन्धित थाना क्षेत्र या निकटवर्ती थाना क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में होना चाहिये ।

कृष्ण वंश बहादुर बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य [1975 CrLJ 620] के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि धारा 160 द0प्र0सं0 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के लिये क्षेत्राधिकार का नियतन भी करती है । 160 द0प्र0सं0 के अधीन मामले का अन्वेषण कर रहा विवेचनाधिकारी अपने थाना क्षेत्र या निकटवर्ती थाना क्षेत्र के ही व्यक्तियों को पूछताछ के लिये आदेश जारी कर सकता है, अन्य किसी थाना क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों को वह इस निमित्त नहीं बुला सकता।

4- पूछताछ के लिये बुलाये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि वह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में जानकारी रखता है। यदि कोई व्यक्ति अन्वेषणाधीन मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखता है तो उसे इस धारा के अधीन पूछताछ हेतु नहीं बुलाया जाना चाहिये।

5- द0प्र0सं0 की धारा 160 यह भी प्राविधानित करती है कि कोई पुरुष जो 15 वर्ष से कम आयु का है और 65 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा किसी महिला को अथवा मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को उसके निवास स्थान से बाहर पूछताछ हेतु नहीं बुलाया जायेगा।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजाराम बनाम हरियाणा राज्य [1972 SCC (Cr.) 193] के प्रकरण में अवधारित किया गया है कि एक पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिये धारा 160 द0प्र0स0 के उपबंधों के अधीन बुला सकता है परंतु किसी स्त्री या 15 वर्ष से कम के पुरुष को इस प्रकार नहीं बुलाया जा सकता है। यदि किसी स्त्री या 15 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से पूछताछ करनी है तो वे जहाँ निवास करते हैं उसी स्थान पर जाकर पूछताछ करनी होगी ।

उपरोक्त प्रकार से जारी किये गये आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित व्यक्ति को आदेश में उल्लिखित समय व स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के आलोक में आप सभी को एततद्वारा निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं द0प्र0सं0 की धारा 91 व 160 में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यक्तियों को पूछताछ हेतु पुलिस थाना या अन्य स्थान पर तभी बुलाया जाये जब उससे सम्बंधित कोई आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हो, उसकी विवेचना प्रचलित हो और वह व्यक्ति घटना के तथ्यों व परिस्थितियों से भिज्ञ हो । ऐसे व्यक्ति को सदैव ही लिखित आदेश के माध्यम से आहूत किया जाय और उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के साथ विधिक कार्यवाही पूर्ण की जाय। यदि परिस्थितिवश विवेचक न हो तो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी नोटिस/सम्मन निर्गत करने से पूर्व थाना प्रभारी की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। मा0 उच्च न्यायालय के हैबियस कार्पस रिट याचिका सं0 80/2022 में पारित उक्त निर्णय दि. 11.4.2022 के प्रभावी अंश मे वर्णित निर्देश के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि थाना प्रभारी की सहमति/अनुमोदन लिया जाना प्रत्येक स्थिति में परिलक्षित होना चाहिए। किसी भी कारण से अभियुक्त या कोई अन्य व्यक्ति थाना प्रभारी के सहमति/अनुमोदन के बिना अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से सम्मन नहीं किया जायेगा।

सस्नेह

भवदीय,

28/06/2022

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/आर्थिक अपराध अनुसंधार संगठन/विशेष अनुसंधान शाखा , सहकारिता उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था/अपराध/अभियोजन, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।